न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली

तारीख रजू :– 07.04.2017

मुकदमा नं0 :– 14/2017

पीठासीन अधिकारी – अनूपसिंह

R.A.S.

1.	प्रेमसिंह	पिसरान ग्यारसा	जाति जाटव निवासी बाजनाखुर्द
2.	मीठीलाल		
3.	पूरनमल		तहसील हिण्डौन जिला करौली
4.	चन्द्रकला	पुत्रियॉ ग्यारसा	
5.	किशनबाई		———— प्रार्थीगण

बनाम

1.	सरकार तामील जरिये तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली	
2.	श्रीलाल पुत्र गिल्हारया	जाति जाटव निवासी बाजनाखुर्द
3.	ढीमो बेबा ईश्वरीया	
4.	सन्ता बेबा मोहनसिंह	तहसील हिण्डौन जिला करौली
5.	कुंवरसिंह पुत्र मोहनसिंह	
6.	वीपी पत्र मोहनसिंह	जाति जाटव निवासी बाजनाखुर्द
7.	रोहित पुत्र मोहनसिंह	नावालिगान जरिये संरक्षिका माता खुद सन्ता बेबा मोहनसिंह जाति जाटव निवासी बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन जिला करौली ———— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश मुदगल एडवोकेट प्रार्थी

2. पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक :– 8-9-22

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी पेश कर प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि आराजीयात खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.15 है0, 1390/1590 रकबा 0.01 है0, 1396 रकबा 0.19 है0, 1397 रकबा 0.18 है0, 1398 रकबा 0.16 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.69 है0 ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन में स्थित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज आराजीयात प्रार्थीगण को अपने बुजुर्ग पांच्या से विरासत में प्राप्त हुई है और बुजुर्ग पांच्या के जायन्दा 4 पुत्र कमशः लसन्या, गिलहारया, ग्यारसा व दौजी थे और बुजुर्ग पांच्या के मरने के बाद चारों पुत्रों के नाम विवादित भूमि की खातेदारी हिस्सा 1/4, 1/4 के खातेदारी दर्ज हो गई एवं बुजुर्ग पांच्या के पुत्र लसन्या के स्वर्गवास होने के बाद उक्त लसन्या के 2 पुत्र मोहरपाल व मोगा थे एवं मोहरपाल की मृत्यु के बाद उसके वारिसान रमन लल्लू भगवानसिंह व बेबा रामपति के नाम हिस्सा 1/8 की खातेदारी हो गई तथा दूसरे पुत्र मोगा के नाम हिस्सा 1/8 की खातेदारी दर्ज है इस प्रकार लसन्या के दोनों पुत्रों के वारिसान व पुत्र मोगा के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी दर्ज है।

प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि उपरोक्तानुसार बुजुर्ग पांच्या के पुत्र गिलहारया के मरने के बाद उसके 2 पुत्र इसरिया व श्रीलाल के नाम हिस्सा 1/4 की खातेदारी एवं साथ में पुत्री शांति के नाम भी खातेदारी उक्त गिलहारया के हिस्सा 1/4 में दर्ज है एवं गिलहारया के पुत्र ईसरिया का स्वर्गवास होने के बाद उसके पुत्र मोहनसिंह व पुत्री सोनपति एवं बेबा ढीमो के नाम खातेदारी दर्ज हिस्सा 1/8 और दूसरे पुत्र श्रीलाल व पुत्री शान्ति के हिस्सा 1/8 की खातेदारी दर्ज हो गई है और इस प्रकार गिलहारया के वारिसान के हिस्सा 1/4 की खातेदारी जरिये नामान्तकरण सं0 462 दिनांक 30.05.2009 द्वारा हो चुकी है एवं इसी प्रकार बुजुर्ग पांच्या के पुत्र दौजी के मरने के बाद उसके पुत्र वारिसान राजेन्द्र रामनिवास पि0 दौजी सफेदी ओमवती पुत्रियॉ दौजी हि0 1/4 की खातेदारी दर्ज हो चुकी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण के पिता यानि बुजुर्ग पांच्या का चौथा पुत्र ग्यारसा के मरने के बाद अभी तक प्रार्थीगण के नाम खातेदारी हिस्सा 1/4 की नहीं हुई है और प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा के नाम ही खातेदारी चली आ रही है। उक्त सारी बातें प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दीयों से बखूबी साबित है।

प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि रेवन्यू रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2055–58 ग्राम क्यारदाखुर्द में विवादित भूमि का हिस्सा 1/4 प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा पुत्र पांच्या के नाम दर्ज होते हुए अगली जमाबन्दी रेवन्यू कर्मचारीगण द्वारा सरकारी कम्प्यूटर कार्यालय तहसील हिण्डौन में सम्बत् 2059–62 तैयार करते वक्त सहवन से या गलती से प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा के स्थान पर गिलहारया पुत्र ग्यारसा के नाम व वारिसान श्रीलाल पुत्र गिलहारया एवं मोहनसिंह पुत्र इसरिया तथा सोमवती पुत्री ईसरिया ढीमो बेबा ईसरिया व शान्ति पुत्री गिलहारया के नाम दर्ज कर दी गई है जो गलत है। जबकि उक्त गिलहारया के

इसरिया के नाम पूर्व में नामान्तकरण सं0 462 दिनांक 30.05.2009 गांव बाजनाखुर्द के जरिये खातेदारी हो चुकी है।

प्रार्थना पत्र के मद नं06 में दर्ज किया है कि प्रार्थीगण ने कम्प्यूटर (सरकारी) तहसील हिण्डौन में जमाबन्दी सं0 2059–62 में सहवन से या गलती से दर्ज की गई खातेदारी प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा के स्थान पर गिलहारया के नाम की गई को दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी नं01 से निवेदन किया तो अप्रार्थी नं01 ने दिनांक 24.03.2017 को अप्रार्थी नं01 ने उक्त दुरूस्ती करने के लिए स्पष्ट मना कर दिया और न्यायालय से दुरूस्ती आदेश लाने को कहा इस कारण प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मुताविक जमाबन्दी सं0 2055–58 ग्राम बाजनाखुर्द के अनुसार विवादित खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.15 है0, 1390/1590 रकबा 0.01 है0, 1396 रकबा 0.19 है0, 1397 रकबा 0.18 है0, 1398 रकबा 0.16 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.69 है0 ग्राम बाजनाखुर्द की जमाबन्दी के अनुसार जमाबन्दी सं0 2059–62 को तैयार करते वक्त हुई गलती को दुरूस्त करने हेतु अप्रार्थी को आदेश दिया जावे कि वह ग्यारसा के नाम हि01/4 की खातेदारी दर्ज करने के आदेश फरमावें व जमाबन्दी सं0 2059–62 में ग्यारसा के स्थान पर गिलहारया के नाम व वारिसान के नाम की खातेदारी को हजफ करने के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी सं01 की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने उपस्थित होकर जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं01 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं01 पत्रावली में सलग्न जमाबन्दी मुताविक राजस्व रिकार्ड खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.15 है0, 1390/1590 रकबा 0.01 है0, 1396 रकबा 0. 19 है0, 1397 रकबा 0.18 है0, 1398 रकबा 0.16 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0. 69 है0 ग्राम बाजनाखुर्द स्थित है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं02 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं02 इस हद तक स्वीकार है कि खातेदार लहसनिया के फौत होने पर उसके पुत्रान मोहरपाल एवं मोगा हिस्सा 1/8, 1/8 तथा खातेदार मोहरपाल के फौत होने पर वारिसान हक हि01/8 दर्ज रिकार्ड है।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं03 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं03 इस हद तक स्वीकार है कि खातेदार गिलहारया के फौत होने पर उसके वारिसान इसरिया व श्रीलाल के हक हिस्सा 1/8, 1/8 भू–प्रबन्ध खतौनी दर्ज है। परन्तु खतौनी में गिलहारया की वारिसान पुत्री शांति का नाम अंकित नहीं है तथा खातेदार इसरिया पुत्र गिलहारया हिस्सा 1/8 फौत होने पर वारिसान पुत्र

मोहनसिंह, पुत्री सोनबती, बेबा ढीमो हिस्सा 1/8 खातेदारी दर्ज हुई तथा दौजी पुत्र पांच्या हि01/4 के फौत होने पर वारिसान अंकित होना सही है। शेष तथ्य स्वीकार नहीं हैं।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं04 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 के अनुसार खातेदार ग्यारसा पुत्र पांच्या हि01/4 जमाबन्दी सं0 2055–58 में सही अंकन है तत्पश्चात रोटेशन जमाबन्दी सं0 2059–62 में खातेदार का नाम ग्यारसा के बजाय गिलाहरया अंकित हो गया।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 में खातेदार ग्यारसा का अंकन जमाबन्दी सं0 2055–58 में दर्ज होने तदोपरान्त रोटेशन जमाबन्दी सं0 2059–62 में पुनः गिलाहरया अंकित होने पर विरासत नामान्तकरण सं0 462 दिनांक 30.05.2009 से गिलाहरया के वारिसान हक दर्ज हो गया।

जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं06,7,8,9 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 6,7,8,9 कानूनी हैं।

विविध – यह कि, वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट 1956 का प्रकरण नहीं होकर दावा बाबत् इस्तकरार हक एवं घोषणा खातेदारी अन्तर्गत प्रस्तुत किया जाना विधि संलग्न है। वादीगण द्वारा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ आवश्यक एवं सुसंगत दस्तावेज संलग्न पत्रावली नहीं किये हैं। अतः जबाव प्रतिवादी मय आईएलआर वृत महूइब्राहिमपुर व पटवारी हल्का बाजनाकला संलग्न प्रेषित है।

वकील प्रार्थीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2055–58, नकल जमाबन्दी सं0 2059–62, नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 पेश की है।

वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी सं01 की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। अप्रार्थी पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन ने जबाव प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है।

वकील प्रार्थीगण तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वकील प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2055–58 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.15 है0, 1390/1590 रकबा 0.01 है0, 1396 रकबा 0.19 है0, 1397 रकबा 0.18 है0, 1398

रकबा 0.16 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.69 है0 ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी भगवानसिंह रमन (बालिग) लल्लू नाबालिग पि0 मोहरपाल सरंक्षक माता रामपति बेबा मोहरपाल व मु0 रामपति बेबा मोहरपाल हि0ब0हि01/8, मोगा पुत्र लहसनिया हि01/8, दौजी पुत्र पांच्या हि01/4, ईशरिया श्रीलाल पिसरान गिल्हारया हि01/4, ग्यारसा पुत्र पांच्या हि01/4 जाति चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 295 दिनांक 11.06.2004 से मृतक ईश्वरिया पुत्र गिल्हारया हि01/8 के स्थान पर विरासत से खाता मोहनसिंह पुत्र ईश्वरिया सोनबती पुत्री ईश्वरिया ढीमो बेबा ईश्वरिया हि01/8 के नाम इन्द्राज परिवर्तन स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2059–62 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.15 है0, 1390/1590 रकबा 0.01 है0, 1396 रकबा 0.19 है0, 1397 रकबा 0.18 है0, 1398 रकबा 0.16 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 0.69 है0 ग्राम बाजनाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी भगवानसिंह रमन (बालिग) लल्लू नाबालिग पि0 मोहरपाल सरंक्षक माता रामपति बेबा मोहरपाल व मु0 रामपति बेबा मोहरपाल हि0ब0हि01/8, मोगा पुत्र लहसनिया हि01/8, दौजी पुत्र पांच्या हि01/4, ईशरिया श्रीलाल पिसरान गिल्हारया हि01/4, गिल्हारया पुत्र पांच्या हि01/4 जाति चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 295 दिनांक 11.06.2004 से मृतक ईश्वरिया पुत्र गिल्हारया हि01/8 के स्थान पर विरासत से खाता मोहनसिंह पुत्र ईश्वरिया सोनबती पुत्री ईश्वरिया ढीमो बेबा ईश्वरिया हि01/8 के नाम इन्द्राज परिवर्तन स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 311 दिनांक 02.08.2004 बेचान– खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.15 है0, 1396 रकबा 0.19 है0, 1397 रकबा 0.18 है0, 1398 रकबा 0.16 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.68 है0 में मोहनसिंह पुत्र ईशरिया वगैराह का हि01/8 के बजाय पूरनमल पुत्र ग्यासिया जाति जाटव सा0 देह हि01/8 स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2063–66 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.15 है0, 1396 रकबा 0.19 है0, 1397 रकबा 0.18 है0, 1398 रकबा 0.16 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन की खातेदारी भगवानसिंह रमन (बालिग) लल्लू नाबालिग पि0 मोहरपाल सरंक्षक माता रामपति बेबा मोहरपाल व मु0 रामपति बेबा मोहरपाल हि0ब0हि01/8, मोगा पुत्र लहसनिया हि01/8, दौजी पुत्र पांच्या हि01/4, पूरनमल पुत्र ग्यासिया हि0 1/8, श्रीलाल पुत्र गिल्हारया हि0 1/8, गिल्हारया पुत्र पांच्या हि01/4 जाति चमार सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 462 दिनांक 30.05.2009 विरासत से गिलाहरया के बजाय मोहरसिंह पुत्र ईशरिया, सोनवती पुत्री ईशरीया, ढीमो बेबा ईशरिया हि01/6,

श्रीलाल पुत्र गिलाहरया हि01/6, शान्ति पुत्री गिलाहरया हि01/6 दर हिस्सा 1/4 के नाम हुआ दर्ज रिकार्ड है।

अप्रार्थी तहसीलदार हिण्डौन ने अपने जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं04 के अनुसार खातेदार ग्यारसा पुत्र पांच्या हि01/4 जमाबन्दी सं0 2055–58 में सही अंकन है तत्पश्चात रोटेशन जमाबन्दी सं0 2059–62 में खातेदार का नाम ग्यारसा के बजाय गिलाहरया अंकित हो गया तथा जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 में खातेदार ग्यारसा का अंकन जमाबन्दी सं0 2055–58 में दर्ज होने तदोपरान्त रोटेशन जमाबन्दी सं0 2059–62 में पुनः गिलाहरया अंकित होने पर विरासत नामान्तकरण सं0 462 दिनांक 30.05.2009 से गिलाहरया के वारिसान हक दर्ज हो गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार हिण्डौन से प्राप्त जबाव प्रार्थना पत्र के आधार पर यह स्पष्ट हो चुका है कि खातेदार ग्यारसा पुत्र पांच्या हि01/4 जमाबन्दी सं0 2055–58 में सही अंकन है तत्पश्चात रोटेशन जमाबन्दी सं0 2059–62 में खातेदार का नाम ग्यारसा के बजाय गिलाहरया अंकित हो गया तथा जबाव प्रार्थना पत्र के मद नं05 में दर्ज किया है कि प्रार्थना पत्र का मद नं0 5 में खातेदार ग्यारसा का अंकन जमाबन्दी सं0 2055–58 में दर्ज होने तदोपरान्त रोटेशन जमाबन्दी सं0 2059–62 में पुनः गिलाहरया अंकित होने पर विरासत नामान्तकरण सं0 462 दिनांक 30.05.2009 से गिलाहरया के वारिसान हक दर्ज हो गया। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी सं0 2063–66 में दर्ज है। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से सांबित है कि सम्बत् 2058 से पूर्व ही गिलाहरया पुत्र पांच्या फौत हो चुका था और गिलाहरया पुत्र पांच्या की विरासत उसके पुत्र ईशरिया व श्रीलाल के नाम दर्ज हो गई जो नकल जमाबन्दी सं0 2055–58 के अवलोकन से स्पष्ट है। जमाबन्दी सं0 2055–58 में प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा पुत्र पांच्या हि01/4 भाग के रिकोर्डेड खातेदार काश्तकार थे किन्तु आगामी जमाबन्दी सं0 2059–62 तैयार करते समय प्रार्थीगण के पिता ग्यारसा पुत्र पांच्या हि01/4 के स्थान पर सहवन से अथवा लिपिकीय भूल से गिलाहरया पुत्र पांच्या हि01/4 दर्ज हो गया, जबकि गिलाहरया पुत्र पांच्या को पूर्व में ही फौत हो चुका था, किन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सं0 2059–62 में ग्यारसा पुत्र पांच्या हि01/4 के स्थान पर गिलाहरया पुत्र पांच्या हि01/4 दर्ज होने के कारण गिलाहरया की विरासत का नामान्तकरण सं0 462 दिनांक 30.05.2009 के द्वारा मोहरसिंह पुत्र ईशरिया, सोनवती पुत्री ईशरीया, ढीमो बेबा ईशरिया हि01/6, श्रीलाल पुत्र गिलाहरया हि01/6, शान्ति पुत्री गिलाहरया हि01/6 दर हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज हो गया। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से साबित है कि जमाबन्दी सं0 2055–58 से नवीन जमाबन्दी सं0 2059 –62 तैयार करते समय हल्का पटवारी से सहवन से ग्यारसा पुत्र पांच्या हिस्सा

1/4 के स्थान पर गिलाहरया पुत्र पांच्या हि0 1/4 दर्ज हो गया और आगे की रामी जमाबन्दीयों में भी इसी प्रकार उक्त गलती दौहराती चली गई तथा मृतक गिलाहरया की विरासत उसके वारिसान के नाम नामान्तकरण सं0 462 से तब्दील हो चुकी है। ऐसे हालात में उक्त प्रकरण धारा 136 एलआरएक्ट की परिधि में नहीं आता है। इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट विरूद्ध अप्रार्थी खारिज योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत आराजी खसरा नम्बर 1390 रकबा 0.15 है0, 1396 रकबा 0.19 है0, 1397 रकबा 0.18 है0, 1398 रकबा 0.16 है0, कुल किता 4 कुल रकबा 0.68 है0 वाके ग्राम क्यारदाखुर्द तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिंनाक .....8-9-22..... को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली